BSES

टायर शोरूम का मालिक बिजली चोरी में पकड़ा गया, एक साल की कैद, 3. 30 लाख का जुर्माना

- शोरूम का मालिक कर रहा था **11** किलोवॉट की बिजली चोरी
- बीएसईएस ने किया **4.19** लाख रूपये का जुर्माना
- शोरूम मालिक द्वारा जुर्माने का भुगतान न करने पर बीएसईएस कोर्ट में गई
- विकासपुरी स्थित स्पेशल कोर्ट ने नांगलोई के इस टायर व्यवसायी को सुनाई जेल की सजा
- कोर्ट ने **3.30** लाख रूपये का जुमर्ना भी किया

नई दिल्ली, **7** सितंबर, **2007**। बिजली के स्पेशल कोर्ट के एक निर्णय ने शहर के व्यवसाइयों के बीच सनसनी फैला दी है। नांगलोई स्थित एक टायर शोरूम के मालिक को विकासपुरी के स्पेशल कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही **3.30** लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। हालांकि आरोपी लगातार यह तर्क देता रहा कि बिजली चोरी के मामले में वह दोषी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने दलीलों व सबूतों के आधार पर हीरा टायर्स के मालिक अनवर अली को बिजली चोरी का दोषी करार दे दिया।

दरअसल, अनवर अली, जो कि नांगलोई में ए–**2**, मेन नजफगढ़ रोड, हनुमान मंदिर के निकट टायर का एक शोरूम चलाता है, **11** किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। वह अपने टायर शोरूम के लिए, पास से गुजर रहे बीएसईएस के एलवी मेन्स पर कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। बीएसईएस ने भारतीय बिजली कानून के तहत उस पर **4.19** लाख रूप्ये का जुर्माना किया। लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद कंपनी ने बिजली के स्पेशल कोर्ट का रूख किया।

हालांकि कोर्ट में आरोपी लगातार यह कहता रहा कि वह निदोर्ष है, उसे बिजली चोरी में फंसाया गया है और उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, और बीएसईएस द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को बिजली चोरी का दोषी करार दे दिया। अनवर अली को बिजली चोरी के जुर्म में **1** साल की कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही उस पर भारतीय बिजली कानून की धाराओं के मुताबिक **3.30** लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया।

नांगलोई इलाके में कितनी बिजली चोरी:

नांगलोई सर्वाधिक बिजली चोरी वाले इलाकों में शामिल है। यहां बिजली के तारों पर कटिया लगाकर बिजली चोरी करना आम बात है। ज्यादातर बिजली चोरी औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए की जाती है। पिछले दिनों बीएसईएस ने नांगलोई इलाके में **2000** जगहों पर छापेमारी की, **22, 500** किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी और बिजली चोरों पर करीब **40** करोड़ रूपये का जुर्माना किया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– **39999870/ 9312007822**

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– **39999088/ 9350130304**